राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 153 जयपुर/2006-07

यह प्रमाणित किया जाता है कि ब्राइटमून शिक्षण संस्थान, चौमू जिला जयपुर राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 3 माह जून सन दो हजार 2006 को जयपुर में किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं

(प्रहलाद आमेरिया)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 © 2374969 2751352 2751417

विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाऐं प्रस्तुत करें

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।

2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :-

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की सं.	विधान के अनुसार बैठक का कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।

4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।

5. बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।

6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्पुष्टि की प्रमाणित प्रति।

7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र

   हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।

8. तुलनात्मक स्टेटमेन्ट निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।

10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली)
तथा
संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये/बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

   धारा - 20

9. **सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा :-** इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात :-

   पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक, अनाथ निधियां, [1](खादी और ग्रामोद्योग), साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

10. राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय से प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कॉपी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 5/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।

---

1. राज. राज-पत्र विशेषांक 4 (क) दिनांक 17.5.95 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

12 आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 7, एवं शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।

14. ग्राम, मोहल्ला, कॉलोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।

15. ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र हो तो उपयुक्त रहेगा।

16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।

17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।

18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले हों तो उपयुक्त रहेगा।

19. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।

20. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। ''परिवार'' से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नी, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हों तथा पति की विधवा माँ जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो।

21. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

22. अधिसूचना क्रमांक प.4 (5) कृषि-4/सह./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।

ब्राइटमून शिक्षण संस्थान ✓ ~~समिति/सोसाइटी~~/संस्थान/~~संस्था~~

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम ब्राइटमून शिक्षण संस्थान ~~समिति/सोसाइटी~~/संस्थान/~~संस्था~~ है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय प्लाट न॰ - 53 - श्याम विहार कॉलोनी खाटी बाग रोड, चौमूँ जिला - जयपुर है
समस्त जयपुर जिला
तथा इसका कार्यक्षेत्र समस्त जयपुर जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1. • समाज में शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, खेलकूद, व्यायाम, शारीरिक शिक्षा, साहित्यिक, चित्रकला, ललितकला की शिक्षा प्रदान करना।
2. • शिक्षा के बुनियादी ~~स्व~~ रूप को आगे बढ़ाते हुए शिशु से विश्वविद्यालय स्तर व भी संकायों में स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा, अभियान्त्रिकी
3. शिक्षा, पशुधन सहायक, वेटेनरी, मेडिकल, नर्सिंग, विधि, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, शिक्षा स्नातक में शैक्षिक, प्रशैक्षिक (B.Ed, STC, M.Ed) एवं अनुसंधान
4. के पाठ्यक्रम संचालित करना।
• समाज में शिक्षा के प्रति शैक्षिक समारोहों का आयोजन, शिविर आयोजन शिविर
5. कर समाज के सभी वर्गों ~~को~~ शिक्षित कर शिक्षा के प्रति जागरूक करवाना।
• शिक्षा का आधुनिकतम स्वरूप प्रदान करने के लिए कम्प्यूटर से सम्बन्धित बेसिक
6. शिक्षा से ~~स्नातकोत्तर~~ स्तर तक शिक्षा का कम्प्यूटरीकृत शिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध करवाना।
7. • शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने हेतु गरीब छात्रों एवं सभी प्रकार के जरूरतमन्द छात्रों का छात्रावास व्यवस्था उपलब्ध करवाना।
8. • सह शैक्षिक क्रियाएं एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट जैसी गतिविधियाँ
9. संचालित कर छात्र का बहुमुखी विकास करना।
• समाज को जागरूक करने की दृष्टि से पत्रकारिता, व्यावसायिक
10. कोर्स को स्नातकोत्तर स्तर तक का पाठ्यक्रम आरम्भ करना।
11. • समाज में निराश्रित महिलाओं, बच्चों, असहाय मूक बधिर की सेवा कार्य को हाथ में लेना। समाज कल्याण द्वारा संचालित सभी कार्यों जैसे
12. महिला, बाल विकास, समाज कल्याण, स्वच्छता, सफाई, पर्यावरण जैसे कार्यों का संचालन करना।
13. • सभी वर्ग के छात्र/छात्राओं को स्वावलम्बी बनाने एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु औद्योगिक शिक्षा जैसे - कताई बुनाई, कापर, काष्ठ कला आदि संकाय का
14. भी ज्ञान उपलब्ध करवाना।
• समाज में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा शिविरों
15. का आयोजन करना, दवाइयों का वितरण करना, गरीब एवं बीमार लोगों को निःशुल्क इलाज करवाना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	सत्यवीर सिंह S/o. श्री दाताराम	एडवोकेट	प्लाट नं० - 53 श्याम विहार कॉलोनी, खादीबाग रोड चौमूं (जयपुर)	अध्यक्ष
2.	उमरावसिंह यादव श्री किशोरीलाल यादव	राज्य सेवा कर्मचारी	वार्ड नं० 3 अहीरों की ढाणी चौमूं (जयपुर)	उपाध्यक्ष
3.	सीता राम यादव S/o श्री रामकुमार यादव	अध्यापन	प्लाट नं० -54 श्याम विहार कॉलोनी, खादीबाग रोड चौमूं (जयपुर)	मंत्री
4.	योगेश कुमार मिश्रा S/o श्री राम नरेश मिश्रा	अध्यापन रा० से० क०	श्याम विहार कालोनी चौमूं (जयपुर)	संयुक्त मंत्री
5.	कल्याण सहाय गुप्ता S/o श्री बृज मोहन गुप्ता	केन्द्रीय सेवा कर्मचारी	श्याम विहार कॉलोनी चौमूं (जयपुर)	कोषाध्यक्ष
6.	प्रहलाद S/o श्री रामकुमार	व्यापार	श्याम विहार कालोनी चौमूं (जयपुर)	
7.	गौरव S/o श्री सत्यवीर	अध्यापन	53 श्याम विहार कॉलोनी चौमूं (जयपुर)	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान ... के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	सत्यवीर सिंह S/o श्री दाताराम	एडवोकेट	प्लाट नं.-53 श्याम विहार कॉलोनी खाटी बाग रोड चौमूं (जयपुर)	[signature]
2.	उमराव सिंह यादव S/o श्री किशोरी लाल यादव	राज्य सेवा कर्मचारी	वार्ड नं 3 अहीरों की ढाणी चौमूं (जयपुर)	[signature]
3.	सीता राम यादव S/o श्री राम कुमार यादव	अध्यापन	प्लाट नं 54 श्याम विहार कॉलोनी खाटीबाग रोड चौमूं (जयपुर)	[signature]
4.	योगेश कुमार मिश्रा S/o श्री राम नरेश मिश्रा	अध्यापन रा० सं० क०	श्याम विहार कॉलोनी चौमूं जयपुर	[signature]
5.	कल्याण सहाय गुप्ता S/o श्री बृज मोहन गुप्ता	केन्द्रीय सेवा कर्मचारी	श्याम विहार कॉलोनी चौमूं जयपुर	[signature]
6.	प्रहलाद S/o श्री राम कुमार	व्यापार	श्याम विहार कॉलोनी चौमूं जयपुर	प्रहलाद
7.	गौरव S/o श्री सत्यवीर	अध्यापन	53 श्याम विहार कॉलोनी चौमूं	[signature]
8.	ओमकार S/o श्री गुलाब चन्द गुर्जर	अध्यापन	श्याम विहार कॉलोनी चौमूं	[signature]
9.	ओमकार सिंह S/o श्री किशोरी लाल	अध्यापन	वार्ड नं 3 अहीरों की ढाणी चौमूं	[signature]
10.	महेश कुमावत S/o श्री मोहन लाल	व्यापार	श्याम विहार कॉलोनी चौमूं	महेश कुमावत
11.	बाबू लाल रूण्डला S/o श्री मुरली धर	कृषि	रूण्डलों की ढाणी वार्ड नं 5 चौमूं	बाबू लाल
12.	महेन्द्र कुमार जैड S/o श्री मालो राम	अध्यापन	इन्द्रा कॉलोनी स्टेशन रोड चौमूं	महेन्द्र
13.	विद्या देवी W/o श्री सीता राम यादव	अध्यापन	श्याम विहार कॉलोनी चौमूं (जयपुर)	विद्या
14.	जगदीश सिंह S/o श्री चैन सिंह	अध्यापन	राम नगर स्टेशन रोड चौमूं	[signature]
15.	श्रीमती गुंजन W/o श्री गौरव	अध्यापन	श्याम विहार कॉलोनी चौमूं	Gunjan
16.	अंजू यादव W/o श्री रमेश यादव	अध्यापन	कृष्णा विहार कॉलोनी चौमूं	अंजू
17.	अनिल यादव S/o श्री सत्यपाल	अध्यापन	श्याम विहार कॉलोनी चौमूं	अनिल
18.	पुरुषोत्तम शर्मा S/o श्री सुआ लाल	व्यापार	आनन्द नगर कॉलोनी	पुरुषोत्तम

19- विभागीय सदस्य

अध्यक्ष [signature]   मन्त्री [signature]   कोषाध्यक्ष [signature]

इस संस्था के

हस्ताक्षर

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				

NOTARY Govind Ram ... (Jaipur) राजस्थान

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि इस संस्था के सदस्य नहीं हैं।

2. संस्था का नाम
3. जिला
4. दस्तावेज की संख्या
5. तिथि 3/6/10
6. हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
प्रधानाध्यापक
रा. मा. वि.
चौमू (जयपुर)

2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
प्रधानाध्यापक
रा. मा. वि.
चौमू (जयपुर)

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

ATTESTED

ब्राइटमून शिक्षण संस्थान समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम ब्राइट मून शिक्षण संस्थान समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय: तथा कार्यक्षेत्र — इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय प्लाट नं. - 53, श्याम विहार कॉलोनी खाडीबाग रोड, चौमूं, जिला - जयपुर समस्त जयपुर जिला है तथा इसका कार्यक्षेत्र समस्त जयपुर जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

- समाज में शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, खेलकूद, व्यायाम,
1. शारीरिक शिक्षा, साहित्यिक, चित्रकला, ललित कला की शिक्षा प्रदान करना।
- शिक्षा के बुनियादी रूप को आगे बढ़ाते हुए शिशु से विश्वविद्यालय स्तर की सभी
2. संकायों में स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा, अभियांत्रिकी
शिक्षा पशुधन सहायक वैटेनरी, मेडिकल, नर्सिंग, विधि, कला, विज्ञान, वाणिज्य
3. कृषि, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, शिक्षा स्नातक में शैक्षिक, प्रशैक्षिक (B.Ed., STC. M.Ed.) एवं अनुसंधान के पाठ्यक्रम संचालित करना।
4. - समाज में शिक्षा के प्रति शैक्षिक समारोहों का आयोजन, शिविर आयोजन कर समाज के सभी वर्गों को प्रशिक्षित कर शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना।
5. - शिक्षा का आधुनिकतम स्वरूप प्रदान करने के लिए कम्प्यूटर से सम्बन्धित बेसिक शिक्षा से स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा का कम्प्यूटरीकृत शिक्षण की
6. व्यवस्था उपलब्ध करवाना।
- शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने हेतु गरीब छात्रों एवं सभी प्रकार के जरूरत
7. मन्द छात्रों का छात्रावास व्यवस्था उपलब्ध करवाना।
- सह शैक्षिक क्रियाएं एन. सी. सी., एन. एस. एस. स्काउट जैसी गतिविधियां
8. संचालित कर छात्र का बहुमुखी विकास करना।
- समाज को जागरूक करने की दृष्टि से पत्रकारिता, व्यावसायिक कोर्स को
9. स्नातकोत्तर स्तर तक का पाठ्यक्रम आरम्भ करना।
10. - समाज में निराश्रित महिलाओं, बच्चों, असहाय, मूकबधिर की सहायता कार्य को हाथ में लेना। समाज कल्याण द्वारा संचालित सभी कार्यों जैसे महिला
11. बाल विकास, समाज कल्याण, स्वच्छता, सफाई, पर्यावरण जैसे कार्यों का संचालन करना।
12. - सभी वर्ग के छात्र/छात्राओं को स्वावलम्बी बनाने एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु औद्योगिक शिक्षा जैसे - कताई बुनाई, कारपेट, काष्ठ कला आदि
13. संकाय का भी ज्ञान उपलब्ध करवाना।
14. - समाज में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना, दवाइयों का वितरण करना,
15. गरीब एवं बीमार लोगों का निःशुल्क इलाज करवाना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

4. **सदस्यता** : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हों।
3. पागल, दिवालिये न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. **सदस्यों का वर्गीकरण** : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

1-संरक्षक	2-विशिष्ठ
3-सम्माननीय	4-साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. **सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा** : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1-संरक्षक	राशि 2100/=	वार्षिक/~~आजन्म~~
2-विशिष्ठ	राशि 1100/=	वार्षिक/~~आजन्म~~
3-सम्माननीय	राशि 1100/=	वार्षिक
4-साधारण	राशि 1100/=	वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु.. की मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. **सदस्यता से निष्कासन** : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

1-मृत्यु होने पर
2-त्याग पत्र देने पर
3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

8. **साधारण सभा** : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. **साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य** : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे।

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
2- वार्षिक बजट पारित करना।
3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

अध्यक्ष   मन्त्री

10. साधारण सभा की बैठकें :

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे :-

1. अध्यक्ष–एक
2. उपाध्यक्ष–एक
3. मन्त्री–एक
4. कोषाध्यक्ष–एक
5. सदस्य–सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ......पाँच...... पदाधिकारी व ......चौदह...... सदस्य कुल ......19...... सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, उन्हें सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

अध्यक्ष   मन्त्री   कोषाध्यक्ष

14. कार्यकारिणी की की बैठकें :

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य : संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1- अध्यक्ष

1-बैठकों को आहूत करना।
2-मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3-बैठकें आहूत करना।
4-संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5-संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2- उपाध्यक्ष :

1-अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2-प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3- मन्त्री :

1-बैठकें आहूत करना।
2-कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3-आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
4-वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन या यात्रा बिल आदि पास करना।
5-संस्था की प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6-पत्र व्यवहार करना।
7-सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4- उपमंत्री :

1-मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
2-अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

अध्यक्ष   मन्त्री   कोषाध्यक्ष

5- कोषाध्यक्ष :

1-वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2-दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3-चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4-अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

1- चन्दा
2- शुल्क
3- अनुदान
4- सहायता
5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जावेगी।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

1- अध्यक्ष 10000/- रु.
2- मन्त्री 10,000/- रु.
3- कोषाध्यक्ष 5,000/- रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

19. संस्था का विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) व्हाइट मून शिक्षा संस्थान समिति/सोसायटी/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

2. नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

अध्यक्ष

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

1. ... क्रमांक 153
2. ...
3. ...
4. ... की संख्या
5. दिनांक पंजियन
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

मन्त्री

कोषाध्यक्ष